न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 27 / 2021

1. जुलफेद पुत्र मुस्ताक
2. जुलफीना पुत्री मुस्ताक नाबालिग बलिसरपरस्त माता खुद फरीदा पत्नि मुस्ताक जाति मेव निवासी ग्राम नगला आरामसिंह तहसील पहाडी
3. फरीदा पत्नि मुस्ताक जाति मेव निवासी ग्राम नगला आराम सिंह तहसील पहाडी

प्रार्थीगण

बनाम

1. मुस्ताक पुत्र भम्बड जाति मेव निवासी ग्राम नगला आरामसिंह तहसील पहाडी

अप्रार्थी

2. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील पहाडी (भरतपुर)।
3. उपपंजीयक पहाडी (भरतपुर) राज0

फौरमल अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री प्रमोद शर्मा वकील प्रार्थीगण
2. श्री सतीश शर्मा वकील अप्रार्थी संख्या 1

दिनांक :–13 / 01 / 2022

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 258 / 0.97, 178 / 0.18, 179 / 0.18, 207 / 0.40, 23 / 0.21, 256 / 0.30, 307 / 0.24, 318 / 0.62, 34 / 0.22, 341 / 0.45 हैक्टर बांके ग्राम नगला आराम सिंह तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी प्रार्थीगण 1 व 2 के दादा भम्बड पुत्र दानसिंह की आराजी थी जो कि पैतृक आराजी है दादा के फौत होने के बाद विरासत का नामान्तकरण उनके पुत्रों समसू,मुबीन, मुस्ताक, पिता प्रार्थीगण के नाम दर्ज हुआ और राजस्व रिकॉर्ड में अमल हो गया । अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादनी संख्या 3 तभी से काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि स्वयं अर्जित नहीं है अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी संख्या 3 का पति व प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का पिता है मुस्ताक एक अन्य महिला के साथ रह रहा है उसको जुआ खेलने, शराब पीने आदि की बुरी लत पड जाने के कारण वह अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं करता है। बच्चों का भरण पोषण उनकी माता कर रही है। जिसके लिये एक मात्र आराजी के अलावा अन्य कोई आय का साधन नहीं है। जिसके सवव आराजी मुत0 में अपने पति मुस्ताक के हिस्से की आराजी को काश्त करके बच्चों का पालन पोषण कर रही है तथा आज भी मौके पर प्रार्थी संख्या 3 का ही कब्जा व काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 नशे में रहने के कारण काश्त नहीं कर रहा है और ना ही आराजी मुत0 से अप्रार्थी संख्या 1 का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध है । अप्रार्थी संख्या 1 मुस्ताक को खातेदार काश्तकार रिकॉर्ड में मुताबिक हिस्सा दर्ज कर रखा है जो कतई गलत खिलाफ कानून है। गलत इन्द्राज का इल्म प्रार्थीगण को दिनांक 04/02/2021 को नकल जमाबन्दी मिलने पर हुआ अप्रार्थी संख्या 1 आराजी मुत0 को दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल करना चाहता है जिसकी बाबत दिनांक 01/02/2021 को नगला आराजी सिंह में स्पष्ट शब्दों में ऐलानिया धमकी दी है कि मैं आराजी मुत0 को रहन वय मुन्तकिल करके प्रार्थीगण को आराजी से बेदखल कर दूँगा। यदि अप्रार्थी अपने इरादे में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्राईमा फैसाई केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति मुझ प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये हुक्म इम्तनाई चंद रोजा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे कब्जे काश्त प्रार्थी के हिस्से में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । दीगर जगह रहन वय मुन्तकिल नहीं करे राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आया दिनांक 17/12/21 को जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र निराधार व झूठे तथ्यों के आधार पर मुझ प्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया है प्रार्थी संख्या 3 फरीदा का चाल चलन शुरू से ही सही नहीं रहा है शादी के बाद से ही प्रार्थी अपने पति व सास ससुर को बिना बताये अपने पीहर आती जाती रहती है प्रार्थी अपनी ससुराल में मात्र 6–7 दिन ही रहती है। जबकि अपने पीहर में ज्यादा समय अपनी मर्जी अनुसार व्यतीत करती रहती है। इसी दौरान प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के नुत्फे से प्रार्थीगण 1 व 2 पैदा हुये प्रार्थी संख्या 3 अपनी सन्तान की परवरिश भी सही तरीके से नहीं करती है अपने माता पिता के कहे अनुसार अप्रार्थी व उसके माता पिता को तंग व परेशान करती रहती

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

है तथा अप्रार्थी के हिस्से की आराजी को गलत तरीके से हड़पने की नियत से उक्त झूठा प्रार्थना पत्र व वाद पत्र पेश किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड अप्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण ने दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु किया है। प्रार्थी संख्या 01 एवं 02 अप्रार्थी की संतान है एवं प्रार्थी संख्या 03 अप्रार्थी की पत्नि है। इस तथ्य को अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है। मुताबिक नामान्तरण संख्या 497 यह बखूबी प्रमाणित है कि आराजी अप्रार्थी को विरासतन प्राप्त हुई है। आराजी पैतृक सम्पत्ति है। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी की अपेक्षा प्रार्थीगण में निहित है।
2. **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी अप्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण अप्रार्थी के वारिसान है। मुताबिक नामान्तरण संख्या 497 यह बखूबी प्रमाणित है कि आराजी अप्रार्थी को विरासतन प्राप्त हुई है। आराजी पैतृक सम्पत्ति है। अगर अप्रार्थी आराजी का अन्य जगह बेचान कर देता है तो प्रार्थीगण को अधिक असुविधा होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण में ही निहित है।
3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी की अपेक्षा प्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थी की अपेक्षा प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 10/02/2021 ताफैसला मुकदमा कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13/01/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner